UPME180025402025

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना (मेरठ)

विविध वाद संख्या–93/2025
कुंदन झा बनाम अज्ञात
मुकदमा अपराध संख्या–202/2024
अन्तर्गत धारा–281,106,125(ए),125(बी) भारतीय न्याय संहिता
थाना–सरूरपुर, जिला– मेरठ

दिनांकः–20.08.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी मुकदमा **कुंदन झा पुत्र अमरेश झा** निवासी ग्राम जरसो थाना बहेड़ा जिला दरभंगा, बिहार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बयान किया गया है कि वादी द्वारा थाना सरधना में रिपोर्ट दर्ज करायी गया थी, जिसमें थाना सरूरपुर द्वारा अन्तिम आख्या लगा दी है। पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं मुकदमा उपरोक्त में कोई भी कार्यवाही नहीं चाहता हूं तथा यह प्रार्थना की गई है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या को स्वीकार किये जाने की कृपा करे।

उपरोक्त एफ0आर0 का अवलोकन किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के **Circular Letter No. 96/Vll-b-21 dated 19th July, 1971** में एफ0आर0 को पुलिस के द्वारा न्यायालय में दाखिल करने के एक माह के अन्दर आदेश पारित करने के दिशा निर्देश हैं। अतः उपरोक्त सर्कुलर लैटर के आलोक में एवं प्रकरण की परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मामले **मुकदमा अपराध संख्या–202 सन् 2024** अन्तर्गत धारा **281,106,125(ए),125(बी) भारतीय न्याय संहिता** थाना **सरूरपुर** के प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या–**63 सन् 2024** स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रजत शुक्ला)
न्यायिक दण्डाधिकारी, सरधना,
मेरठ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 03272